न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : **01/2021**
GCMS NO. : **2021/2**

–:: प्रार्थी/वादी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ::–
मोहनसिंह पुत्र रामप्रताप जाति चारण निवासी कावलियाखूर्द हाल नयागांव तह. जैतारण जिला पाली		1–कैलाशदान पुत्र रामप्रताप 2–किशनदान पुत्र रामप्रताप फौत के कायम मुकामः– 2/1– ओमकंवर पत्नी किशनदान 2/2– सवाईसिंह पुत्र किशनदान 2/3– शैतानसिंह पुत्र किशनदान 3–सुखदेव उर्फ सहदेव पुत्र रामप्रताप जाति चारण निवासीगण कावलियाखुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज0 4– उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजूः 01/01/2021

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 27/04/2022**

वकील मय प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कावलियाखूर्द पटवार हल्का कावलियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायल एवं गैरसायलान् संख्या 1 से 3 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 272 खसरा नम्बर 285 रकबा 2–06 बीघा किस्म चाही सोयम आई हुई है । नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की पेश है । उक्त कृषि भूमि मे सायल का 1/4 हिस्सा है हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है । सरहद मौजा कावलियाखूर्द पटवार हल्का कावलियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायल एवं वादपत्र के प्रतिवादीगण संख्या 1 से 20 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 217 खसरा नम्बर 281 रकबा 0–04 बीघा गै0मु0 बेरा आया हुआ है नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की पेश है । उक्त बेरे मे खातेदारान् का माफिक हिस्से अनुसार हिस्सा है । मौजा कावलियाखूर्द पटवार हल्का कावलियाकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 310 खसरा नम्बर 365 रकबा 6–01 बीघा किस्म बारानी [illegible] आई हुई है उक्त कृषि भूमि मे खातेदारान् का माफिक हिस्सेनुसार कब्जा काश्त है । नकल जमाबन्दी संवत 2075

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

से 2078 की पेश है । उक्त बेरे मे खातेदारान् का माफिक हिस्से अनुसार हिस्सा है । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 से 3 मे दर्ज कृषि भूमि खातेदारान् की राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी मे दर्ज है जिसका कानूनन बंटवाडा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के किया जाना आवश्यक है उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी मे सामलाती खातेदारी की होने से सायल अपने हिस्से की भूमि को काबिल काश्त हेतू बैंक से खाद बीज लेने हेतू ऋण की आवश्यकता होती है तथा किसान कार्ड बनवाने हेतू परेशानी होती है क्योकि उक्त भूमि सामलाती खातेदारी मे खातेदारान की दर्ज है । सायल ने गैरसायलान् को उक्त कृषि भूमि के बंटवाडा हेतू दिनांक 26/12/2020 को कहा तो स्पष्ट इन्कार हुए इतना ही नही सामलाती खातेदारी की भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने की ऐलानिया धमकी दी व सायल को उसके हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दी इतना ही नही गैरसायलान् ने यह भी कहा कि सामलाती खातेदारी की भूमि के विशिष्ट भू भाग / रास्ते के पास की भूमि को बेचान करेगे यदि गैरसायलान् एक अजनबी केता को बंटवाडे के पूर्व उक्त बेचान कर देते है तो क्रेता अपनी मनचाही भूमि पर कब्जा करेगा जबकि बंटवाडे के पूर्व सामलाती भूमि मे खातेदारान् का कोई निश्चित भू भाग नहीं होता है तथा कौनसा हिस्सा बेचान करता है यह तय नहीं होता है यदि गैरसायलान् उक्त कृत्यों में सफल हो जाते है तो सायल अपने हक व अधिकारों से महरूम होगा व खातेदारान् के बीच अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी जिसे रोके जाने हेतू सायल यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश किया है । 5 1 यह है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 से 3 मे दर्ज कृषि भूमि व कुऐ का सायल खातेदार काश्तकार है व हिस्से अनुसार मौक पर कब्जा काश्त है इस कारण से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है यदि गैरसायलान् द्वारा सामलाती खातेदारी की भूमि को बिना बंटवाडा करवाये किसी अन्य व्यक्ति / अजनबी क्रेता के बेचान उसे विशिष्ठ भू भाग पर व रास्ते के पास की कीमती भूमि पर कब्जा करवा देते है व सायल को अपने कब्जे से बेदखल कर देते है तो सायल के हक व अधिकार प्रभावित होगे व उसे असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी सूरत में संभव नहीं हो सकेगी व सामलाती खातेदारी की भूमि को गैरसायलान् बेचान करने से केता कौनसे भू भाग पर कब्जा करेगा , यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने हेतू सायल ने यह प्रार्थनापत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया है ।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 1 से 3 को बार–बार रूक–रूक कर आवाजें दिलाने के बाद भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवही की गई।

बहस वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:53:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

- **प्रथम दृष्टया मामला**:– पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी द्वारा वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम कांवलियाखूर्द के खाता संख्या 272 खसरा नं 285 रकबा 2–06 बीघा किस्म चाही सोयम, खाता संख्या 217 खसरा नं 281 रकबा 0–04 बीघा किस्म गै.मु. बेरा एवं खाता संख्या 310 खसरा नं 365 रकबा 6–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल की जमाबंदी संवत् 2075–2078 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की सामलाती आराजी है जिसमें अनेक सह–खातेदार है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का सामलाती आराजी के प्रत्येक इंच पर स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रश्नगत सामलाती सह–खातेदारी आराजी में प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार सम्पूर्ण आराजी के संबंध में केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है? जबकि उक्त आराजी में अनेक अन्य सह–खातेदार भी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।
- **सुविधा का संतुलन**:– पूर्व विवेचित बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही, चूंकि प्रार्थी के कथनों व भू–अभिलेखीय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी संयुक्त सह–खातेदारी भूमि है एवं संयुक्त सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होता है। अतः संपूर्ण आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित साबित होता है।
- **अपूरणीय क्षति**:– पूर्व विवेचित दोनो बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है। संयुक्त सह–खातेदारी आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर समान हक–अधिकार निहित होता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी। साथ ही, यदि अन्य सह–खातेदारों के विरूद्ध बिना किसी आधार के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उन्हे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:53:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फा. ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फारेस्ट टैक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट टैक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 27/04/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फारेस्ट टैक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

सहायक कलक्टर
(फारेस्ट टैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:53:38 IST
Reason: SelfAttested